From,
President
Vice-President
Secretary

नीरी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि.
NEERI CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.
नीरी, नागपुर / NEERI, NAGPUR - 440 020
☎ : 0712 - 2249885 - 89 Ext. : 352
(Reg. No. : NGP / BNK / 222 / 74)

बुधवार, दिनांक 17 अगस्त, 2011 को आयोजित नीरी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि.,नागपुर की 37वीं वार्षिक आमसभा का कार्यवृत्त

नीरी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नागपुर की 37वीं वार्षिक आमसभा बुधवार, दिनांक 17 अगस्त, 2011 को शाम 05.00 बजे सोसायटी के अध्यक्ष एवं नीरी के निदेशक डॉ० एस.आर.वटे महोदय की अध्यक्षता में नीरी सभागृह, नागपुर में संपन्न हुई। बैठक मे नीरी सोसायटी के सभी पदाधीकारी तथा 215 से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

विषय क्रमांक 1 :   अध्यक्ष महोदय का स्वागत ।

आमसभा के प्रारंभ में सोसायटी के सचिव श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी ने सर्वप्रथम माननीय डॉ० एस.आर.वटे महोदय को अध्यक्ष पद पर एक साल पूरा करने के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई दी और उपाध्यक्ष महोदय श्री राजेश कुमार लोहिया ने पुष्पगुच्छ देकर संस्था की ओर से उनका स्वागत किया। सोसायटी के सचिव श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा आमसभा के लिए उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक 2 : वर्ष 2009-2010 के आमसभा के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सोसायटी के सचिव ने वर्ष 2009-10 के आमसभा की कार्यवृत्त सदन के सामने प्रस्तुत किया। श्री अशोक तालखडे जी ने इसका प्रस्ताव रखा और सदन ने एकमत से बिना किसी विरोध के इसे मंज़ूर किया।

विषय क्रमांक 3 : वित्त वर्ष 2010-2011 के वार्षिक विवरण की स्वीकृति।

सोसायटी के सचिव श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा आमसभा के सामने वित्त वर्ष 2010-2011 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। नीरी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के वर्ष 2010-2011 के आडिट संपन्न होने का सभा को अवगत कराया। इसे बहुमत से पारित किया गया।

विषय क्रमांक 4 : सोसायटी के वित्त वर्ष 2010-2011 के परीक्षित आय-व्यय, लाभ-हानी एवं लेखा पत्रक पर विचार-विमर्श एवं स्वीकृति।

सोसायटी के सचिव श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा आमसभा के सामने सोसायटी के वित्त वर्ष 2009-2010 का परीक्षित आय-व्यय, लाभ-हानी एवं लेखा पत्रक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे बहुमत से पारित किया गया।

विषय क्रमांक 5 : वित्त वर्ष 2010-2011 में हुए लाभ के वितरण की स्वीकृति।

श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी ने सोसायटी के वित्त वर्ष 2010-2011 का लाभ वितरण पत्रक सदन के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। सदन ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि सदस्यों को 15 प्रतिशत की दर से तदर्थ लाभांश का वितरण किया जाए। इसे बहुमत से पारित किया गया।

विषय क्रमांक 6 : वित्त वर्ष 2011-2012 के अनुमान पत्रक पर विचार-विमर्श एवं स्वीकृति।

सोसायटी के सचिव ने वित्त वर्ष 2011-2012 के अनुमान पत्रक को विचार-विमर्श एवं स्वीकृति के लिए सदन के सामने प्रस्तुत किया। सचिव महोदय द्वारा रखी गई बात को एकमत से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 7 : सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री के स्थान पर ग्रेन लोन के सम्बंध में विचार-विमर्श ।

सचिव ने सभा को अवगत कराया कि सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री के स्थान पर ग्रेन लोन बीस हजार करने का प्रस्ताव सदन के सामने

प्रस्तुत किया । इस पर श्री ए एस दुबे, श्री अशोक तालखडे, श्री जोशी, श्री डी एम धर्माधीकारी, श्री आर एल बिन्द, श्री संजीव सिह, श्री जैतवार, श्री संजय मेहता, श्री ए यु मुले, श्री बिपुल कुमार, श्री एम के सेन ने कहा कि सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री को चालू रखा जाय और श्री आर बी बोदाडे ने कहा कि सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री के स्थान पर ग्रेन लोन दिया जाय । केवल एक सदस्य श्री के के हुमने ने कहा कि सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री और ग्रेन लोन दोनो को दिया जाय । अंत में विचार-विमर्श के बाद बहुमत से यह निर्णय लिया गाया कि सदस्यो को सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री को चालू रखा जाय। इसे बहुमत से आमसभा मे पारित किया गया।

विषय क्रमांक 4 : स्कूल यूनीफार्म एवं स्कूल किताबों हेतु लोन वितरण को बन्द के सम्बंध में विचार-विमर्श ।

सचिव ने स्कूल यूनीफार्म एवं स्कूल किताबों हेतु लोन वितरण को बन्द करने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया। सचिव ने सभा को यह भी जानकारी दी कि छटे वेतन आयोग मे स्कूल यूनीफार्म एवं स्कूल किताबों हेतु प्रत्येक सदस्य के एक बच्चे को एक साल मे 15000 का प्रावधान किया गाया है और यह सुविधा अधिकतम दो बच्चों को मिलती है और साल दर साल यह सुविधा लेने वालो की संख्या कम होती जा रही है और इस साल यह सुविधा केवल 7 सदस्यों ने ली है इसलिये इस सुविधा को बन्द करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा। इसे सदन ने निर्विरोध पारित किया।

विषय क्रमांक 9 : बैठक भत्ता एवं मानधन की राशि बढ़ाने के सम्बंध में विचार-विमर्श ।

सचिव ने सभा को अवगत कराया कि कई सालों से कार्यकारणी समिति के सदस्यों का बैठक भत्ता नही बढाया गया है इसलिये इसे 25 से बढाकर 100 और मानधन की राशि को 25000 से बढाकर 40000 करने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया। इस पर काफी चर्चा के बाद सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने बैठक भत्ता की राशि को 25 से बढाकर 50 और मानधन की राशि को 25000 ही रखी जाय ऐसा निणर्य लिया। इसे सदन मे उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी मज़ूरी प्रदान की।

विषय क्रमांक 10 : Cash in Hand की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 करने के सम्बंध में विचार-विमर्श ।

सचिव ने सभा के सामने Cash in Hand की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया। इसे सदन ने निर्विरोध पारित किया।

विषय क्रमांक 11 : सदस्यों के सुझाव/आपत्तियों पर विचार।

1) श्री श्रीधर किस्ते ने यह सुझाव रखा कि सामान्य संवर्ग अधिकारियों के एक सी एस आई आर प्रयोगशाला से दुसरी सी एस आई आर प्रयोगशाला मे स्थानांतरण होने के बाद भी हमारी सदस्यता एवं बकाया लोन राशि की कटौती एवं लोन की सुविधा जारी रहना चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि सोसायटी महाराष्ट्र सरकार से रजिस्टर है इसलिए यह सुविधा प्रदान नही की जा सकती। फिर भी यह सुविधा पर हम विचार करेगे।

2) श्री जोशी ने यह सुझाव रखा कि लोन कटोती के बाद अगले महीने लोन की बकाया किस्तों की जानकारी दी

जानी चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि यह सुविधा अगले महीने से ही प्रदान कर दी जायगी।

3) श्री पी एस सालवे ने यह सुझाव रखा कि सोसायटी मे जोभी लेनदेन होता है वह एकाउन्ट चेक से की जानी चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि यह सुविधा हमने 1 अप्रेल 2011 से ही प्रारम्भ कर दी है।

4) श्री ए एस दुबे ने यह सुझाव रखा कि सोसायटी के माध्यम से सोसीयल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि यह सुविधा पर हम विचार करेगे।

5) श्री एम के सेन ने यह सुझाव रखा कि सुख सुविधा योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री पर ब्याज दर को कम किया जाना चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि इस सुविधा पर हम विचार करेगे।

6) श्री डी एम धर्माधीकारी ने यह सुझाव रखा कि सोसायटी मे सभी सदस्यों की सूची मे उनके मोबाईल नम्बर के साथ दी जानी चाहिए। सचिव ने सभा को अवगत कराया कि इसे जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कर दीया जायगा।

विषय क्रमांक 12 : अध्यक्ष महोदय का अभिभाषण।

सोसायटी के अध्यक्ष एवं नीरी संस्था के निदेशक महदोय माननीय डॉ० एस.आर. वटे ने सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष डॉ० तपन चक्रबर्ती के नेतृत्व में सोसायटी की प्रगति की प्रशंसा की एवं सोसायटी कार्यकारी सदस्य को भी उनके सक्रिय कामों के लिये भी हार्दिक बधाई दी। इसी

तरह और अधिक पारदर्शिता एवं सदस्यों के हित में काम करने हेतु प्रेरित किया।

विषय क्रमांक 13 : आभार प्रदर्शन।

सोसायटी के उपाध्यक्ष श्री राजेश कुमार लोहिया ने सबसे पहले अध्यक्ष एवं नीरी संस्था के निदेशक माननीय डॉ० एस.आर. वटे महोदय को उनके सोसायटी के अध्यक्ष पद पर 11 अगस्त 2011 को एक साल पूरा होने पर हार्दिक बधाई दी और सोसायटी को बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए सोसायटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉ० एस.आर. वटे एवं डॉ० तपन चक्रवर्ती महोदय का आभार प्रकट किया। साथ ही सोसायटी को समय-समय पर सहयोग करने वाले सभी विभाग/प्रभाग प्रमुखों का भी आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही श्री आशिष शर्मा, सुश्री पूनम जे. प्रसाद एवं बिल अनुभाग के सभी कर्मचारियों का तथा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का भी आभार प्रकट किया गया। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वार्षिक आमसभा समाप्ति की घोषणा की गई और सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को नीरी उपाहार गृह में सहभोज के लिए आमंत्रित किया गया।

(श्री राजेश कुमार लोहिया)
उपाध्यक्ष

(श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी)
सचिव

(डॉ० एस आर वटे)
अध्यक्ष